

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक: गुराप्र/नवीन पंजी./2013/227

दिनांक:- 16/5/13


आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा पंजीकरण योजना, 2013 के अन्तर्गत प्रताप नगर योजना में नवीन पंजीकरण योजना प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	शहर/ योजना का नाम	सेक्टर नं.	आय वर्ग	आवासों की संख्या	आवास का प्रकार	विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	प्रताप नगर आवासीय योजना, जयपुर	08	HIG (9X18M)	17	डुप्लेक्स आवास	पूर्व पंजीकृत आवेदको के लिये
		08	MIG-B (7X16M)	24	डुप्लेक्स आवास	पूर्व पंजीकृत आवेदको के लिये
		22	HIG (9X18M)	19	डुप्लेक्स आवास	पूर्व पंजीकृत आवेदको के लिये
		22	MIG(B) (7X16M)	131	डुप्लेक्स आवास	पूर्व पंजीकृत आवेदको के लिये
		08	MIG(A) (6X12M)	07	डुप्लेक्स आवास	पूर्व पंजीकृत आवेदको के लिये
		22	MIG(A) (6X12M)	91	डुप्लेक्स आवास	पूर्व पंजीकृत आवेदको के लिये
		23	MIG(A) (S+10)	200	बहुमंजिले आवास	पूर्व पंजीकृत आवेदको के लिये
		कुल आवासों की संख्या				489

नोट:- 130 वीं परियोजना समिति में सेक्टर 8 में अल्प आय वर्ग (5X12M) 09 आवास एवं सेक्टर 22 में अल्प आय वर्ग (5X12M) के 112 आवासों को मध्यम आय वर्ग (अ) में परिवर्तित कर क्रमशः 07 एवं 91 आवास की पंजीकरण योजना प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति प्राप्त है।


 (डा० आर.वेंकटेश्वरन)
 आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. सचिव/मुख्य अभियन्ता/वित्तीय सलाहकार/निदेशक (विधि), रा.आ.मं., जयपुर।
3. अति.मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर को स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि सक्षम स्तर से योजना प्रारम्भ/अन्तिम तिथि का निर्धारण करवायें, लागत निर्धारित करावें, पंजीकरण आवेदन पत्र विक्रय/जमा इत्यादि कार्य हेतु बैंकों को निर्धारण करावें, प्रस्तावित आवासों की निर्धारित समय में सही बुकलेट तैयार करावें एवं योजना प्रारम्भ करने की तिथि से पूर्व जन सम्पर्क अधिकारी के माध्यम से मण्डल नियमानुसार समाचार पत्रों विज्ञप्ति का प्रकाशन करावें। योजना की बुक लेट की दो-दो प्रतियां अध्यक्ष सचिवालय/आवासन आयुक्त प्रकोष्ठ एवं मुख्य सम्पदा प्रबन्धक प्रकोष्ठ में योजना प्रारम्भ तिथि से तीन दिवस पूर्व उपलब्ध करवाना तथा अन्य वांछित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-पी. एण्ड एम./अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सहायक, मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत्त प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. आवासीय अभियन्ता, खण्ड, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
10. रक्षित पत्रावली।



मुख्य सम्पदा प्रबन्धक